समाहरणालय, मधेपुरा
(स्थापना शाखा)
-: आदेश :-

दिनांक-20.03.17 को सम्पन्न जिला अनुकम्पा समिति की बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक-04-1/स्था0, दिनांक-28.03.2017 में लिये गये निर्णय के आलोक में समाहरणालय संवर्ग के निम्नांकित आवेदक को निम्नरूपेण उनके नाम के सामने अंकित पद एवं वेतनमान में औपबंधिक (पूर्णतः अस्थाई) रूप से योगदान की तिथि से निम्न शर्तो के साथ नियुक्त किया जाता है :-

1. योगदान करने के पूर्व अभ्यर्थी से इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त किया जाए कि किसी संगीन अपराध के आरोप में उन्हें कारावास का दंड नहीं दिया गया है। किसी भी प्रकार का आपराधिक मामला वर्त्तमान में उनके विरूद्ध किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। जिससे उन्हें मृत्युदंड अथवा कारावास की सजा देने की संभावना हो अथवा उक्त वाद के निस्तार होने पर आवेदक को छह माह अथवा उससे अधिक दंड दिया जा सकता हो।
2. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु समर्पित कागजात (यथा शपथ पत्र, प्रमाण-पत्र इत्यादि) भविष्य में गलत साबित हो जाने की स्थिति में सेवा से बर्खास्तगी के साथ-साथ आपराधिक मामला दर्ज की जायेगी एवं भुगतान की गई सम्पूर्ण वेतनादि की राशि सूद सहित वसूलनीय होगी।
3. भविष्य में मृत सरकारी कर्मी के अन्य आश्रितों का भरण-पोषण नहीं करने के संबंध में प्राप्त शिकायत पत्र के आधार पर नियुक्ति किसी भी समय रद्द कर दी जाएगी एवं इस संबंध में किसी प्रकार का स्पष्टीकरण मान्य नहीं होगा।
4. योगदान करने के पूर्व अभ्यर्थी को अपनी सम्पत्ति का पूर्ण ब्यौरा शपथ पत्र के माध्यम से समर्पित करना अनिवार्य होगा।
5. इस आशय का शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा कि वे अपनी शादी में दहेज नहीं लेगें/पुनर्विवाह नहीं करेगें एवं सभी निरूपित सेवा संबंधी प्रावधानों का अनुपालन करेगें।
6. योगदान प्राप्त करने वाले कार्यालय प्रधान अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति आवेदक द्वारा समर्पित आवेदन पत्र एवं संलग्न कागजात, प्रमाण-पत्रों आदि का सत्यापन अपने स्तर से कराने के उपरान्त व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट होने पर ही वेतनादि का भुगतान करेंगे।
7. योगदान के साथ उपर्युक्त घोषणा पत्र के अलावे असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त कर मूल में समर्पित करना होगा।
8. आदेश निर्गत की तिथि से 15 दिनों के अन्दर योगदान स्वीकार्य होगा।

क्र0	नियुक्त अभ्यर्थी का नाम एवं विवरण	शैक्षणिक योग्यता	नियुक्त पद का नाम एवं वेतनमान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	श्री सुनील कुमार, पिता- स्व0 सुरेन्द्र प्रसाद दिनकर, भूतपूर्व प्रधान लिपिक, अंचल कार्यालय, चौसा	इन्टरमीडिएट	समूह 'ग' निम्न वर्गीय लिपिक वेतनमान-5200-20200, ग्रेड पे-1900	

नियुक्त अभ्यर्थियों को आदेश दिया जाता है कि वे अपना योगदान जिला स्थापना शाखा, समाहरणालय मधेपुरा में ससमय करना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश की सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

ह0/-
जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 248-2/स्था0, मधेपुरा, दिनांक- 20/04/ 2017

प्रतिलिपि :- संबंधित कर्मी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को जिला के वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सिविल सर्जन, मधेपुरा/ अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/ उदाकिशुनगंज/ कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा/ उदाकिशुनगंज, अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,
मधेपुरा। 20/4/17